प्रेषक

श्री बी.जे. खोदायजी,
आयुक्त एवं गृह सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक/सचिव,
उत्तर प्रदेश स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण
परिषद/निदेशालय,
6, पार्करोड, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 1 नवम्बर, 1975

विषय :– लखनऊ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन की स्थापना ।

महोदय,

गृह (सामान्य) अनुभाग–2

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय ने लखनऊ नगर में वृद्ध, अपाहिज, निःसहाय एवं आर्थिक कठिनाइयों से त्रस्त स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के लिए एक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन' की स्थापना 19 नवम्बर, 1975 से किये जाने के लिये सहर्ष स्वीकृति प्रदान की है । यह सेवा सदन, निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद के प्रशासकीय नियन्त्रण में कार्य करेगा । इस सेवा सदन में ऐसे स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों को आवास एवं भोजन सुविधायें उपलब्ध करायी जायेंगी, जो वृद्ध हैं, निर्धन हैं और जिनकी देखभाल करने वाला उनके परिवार का कोई सदस्य नहीं है और न जिनको आवास की सुविधा ही उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त असहाय तथा चलने–फिरने से मजबूर सेनानियों को इस सदन में आवास सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी जो अस्पताल जाने में असमर्थ हों । कुछ ऐसे भी सेनानी

(5) सेवा सदन में प्रवेश के समय सेनानी को एक घोषणा–पत्र देना होगा कि मृत्यु के बाद उसकी सम्पत्ति यदि सेवा सदन में कोई हो तो उसका निस्तारण कैसे किया जायेगा ।

(6) पुरुष एवं स्त्री दोनों ही सेवा सदन में आश्रय पा सकते हैं यदि वे ताम्र–पत्र अथवा पेन्शन प्राप्तकर्त्ता हों । सेनानी की विधवा को भी प्रवेश दिया जा सकता है।

(7) जिन सेनानियों को 80/– रुपया मासिक तक स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन मिल रही है वे निःशुल्क सेवा सदन में प्रवेश के पात्र माने जायेंगे किन्तु रुपये 81/ – से 100/– रुपये तक पेन्शन पाने वालों से रुपये 20/– तथा राज्य एवं केन्द्रीय पेन्शनों को मिलाकर 101/– से 150/– तक पेन्शन पाने वालों से रुपये 40/– तथा रुपये 151/– से 200/– तक पेन्शन पाने वालों से रुपये 80/– प्रतिमाह भोजन आदि के लिए लिया जायेगा ।

(8) अन्य जिलों या प्रदेशों से आने वाले सेनानियों को कभी–कभी ठहरने की व्यवस्था आवास गृह में की जायेगी बशर्ते कि वह आवास द्वारा निर्धारित व्यय का प्रतिदिन भुगतान करें ।

(9) सेनानियों को प्रवेश के समय प्रवेश फार्म की दो प्रतियाँ भरनी होंगी । उसकी एक प्रति अधीक्षक सेवा सदन के पास रहेगी तथा दूसरी प्रति निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश के पास भेज दी जायेगी। प्रस्तावित फार्म का नमूना अनुलग्नक सं. 3 में दर्शाया गया है।

(10) यदि कोई सेनानी निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करेगा तो उसको सेवा सदन से निष्कासित किया जा सकेगा । इस सम्बन्ध में शासन का निर्णय अन्तिम माना जायेगा ।

3– उक्त सेवा सदन को चलाने के लिए राज्यपाल महोदय इस शासनादेश के अनुलग्नक एक में दिए स्थायी पदों को उनके

जो अपनी पेंशन अनुदान या शासन द्वारा उपलब्ध कराई गई अन्य सुविधाओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ या लखनऊ स्थित अन्य सरकारी कार्यालयों में पूछताछ करने हेतु प्रदेश के विभिन्न जिलों से आते रहते हैं उन्हें अपने कार्य के लिये बहुधा दो-चार दिन लखनऊ में ठहरना पड़ता है। अतः उक्त सेवा सदन में ऐसे आकस्मिक अभ्यागतों (Casual Visitors) के भी ठहरने की व्यवस्था उचित शुल्क देने पर की जायेगी । उक्त सेवा सदन में फिलहाल पच्चीस सेनानियों के आवास तथा आकस्मिक अभ्यागतों के अल्पकालीन निवास एवं भोजन की व्यवस्था की जायेगी । उक्त सेवा सदन में रहने वाले सेनानियों के लिए साधारण चिकित्सा संबंधी सुविधायें भी उपलब्ध कराने की चेष्टा की जायेगी । गम्भीर रुप से बीमार सेनानियों को नगर के अन्य चिकित्सालयों में प्रवेश करा दिया जायेगा । उक्त सेवा सदन में सेनानियों के पढ़ने के लिए एक रीडिंग रुम तथा एक छोटा पुस्तकालय भी रहेगा जहाँ पर वे समाचार पत्र तथा पुस्तकें आदि पढ़ सकेंगे । सेनानियों के मनोरंजन हेतु तथा दिन-प्रतिदिन घटित होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए उक्त सदन में एक रेडियो का भी प्रबन्ध रहेगा । उनके लिये इनडोर गेम्स की भी व्यवस्था रहेगी ।

2- उक्त सेवा सदन में सेनानियों के प्रवेश के लिए निम्नलिखित शर्तें रहेंगीः-

(1) केवल वही सेनानी प्रस्तावित सेवा सदन में रखे जायेंगे जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक हो । परन्तु अपंग व्यक्तियों के लिए उम्र का कोई प्रतिबन्ध न होगा।

(2) केवल ताम्र-पत्र अथवा पेन्शन पाने वाले सेनानी इसमें प्रवेश के पात्र समझे जायेंगे ।

(3) वही सेनानी सेवा सदन में रखे जायेंगे जो निराश्रित हों तथा जिनकी सहायता करने वाला कोई न हो ।

(4) उन्हें किसी प्रकार की छूत की बीमारी या असाध्य रोग न हो और वे स्वस्थ मस्तिष्क के हों । हर सेनानी की चिकित्सा परीक्षा के बाद ही उसका प्रवेश किया जायेगा ।

सम्मुख अंकित वेतन क्रम में उन पर नियुक्ति की तिथि से 29 फरवरी, 1976 तक, यदि इसके पूर्व बिना नोटिस दिये हुए, पद न समाप्त कर दिये गये हों, सृजन की स्वीकृति भी प्रदान करते हैं ।

4– उपर्युक्त पदों के धारकों को शासन द्वारा समय–समय पर स्वीकृत दरों पर मंहगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते, जो अनुमन्य हों, देय होंगे ।

5– उक्त सेवा सदन की स्थापना हेतु अनुलग्नक 2 में उल्लिखित सामान के क्रय तथा भवन के किराये हेतु रुपये 41,000/– (इकतालिस हजार रुपये) आवर्तक व्यय, तथा रुपये 41,000/– (इकतालीस हजार रुपये) अनावर्तक व्यय की भी स्वीकृति राज्यपाल महोदय प्रदान करते हैं । जो भी वस्तुयें क्रय की जायेंगी वे स्टोर पर्चेज रुल के अनुसार ही क्रय की जायेंगी, और उतनी ही क्रय की जायेंगी जितनी की नितान्त आवश्यकता है ।

6– चूंकि उपरोक्त प्रस्तर 5 में उल्लिखित व्यय का प्राविधान प्रस्तावित सेवा सदन की स्थापना एक नई योजना होने के कारण, चालू वित्तीय वर्ष (75–76) के बजट में नहीं है और चूंकि प्रस्तावित सेवा सदन की स्थापना परम आवश्यक एवं अपरिहार्य है, अतएव उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से उपरोक्त व्यय के लिए 82,000 रुपया (रुपया बयासी हजार केवल) की धनराशि अग्रिम लिए जाने के प्रस्ताव पर भी राज्यपाल महोदय स्वीकृति प्रदान करते हैं । आकस्मिकता निधि से की गयी उक्त धनराशि की प्रतिपूर्ति अनुपूरक अनुदान द्वारा यथासमय की जायेगी ।

7– आकस्मिक अभ्यागतों के सेवा सदन में ठहरने और उनके तथा स्थाई रुप से रहने वाले सेनानियों के भोजन के शुल्क की दरों तथा उसे वसूल करने और जमा आदि की प्रक्रिया के सम्बन्ध में आदेश बाद में प्रसारित किये जायेंगे ।

8– शासन ने यह भी निर्णय लिया है कि लखनऊ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन की स्थापना में सहयोग देने

हेतु प्रत्येक स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी या उसके परिवार के सदस्य को राज्य शासन की स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी पेन्शन योजना के अन्तर्गत मिलने वाली स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन या पारिवारिक स्वतन्त्रता संग्राम पेन्शन में से एक रुपये प्रतिमाह की दर से कटौती कर ली जाय । इस विषय में जो प्रक्रिया अपनाई जायेगी उसके बारे में विस्तृत आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

9– उपर्युक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष में लेखा शीर्षक "252–सचिवालय सामान्य सेवायें–आयोजनेत्तर–क–अन्य कार्यालय–(11) स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद से सम्बन्धित अधिष्ठान–(क)–मुख्यालय" के अन्तर्गत एक नया विस्तृत उप शीर्षक "6–अन्य व्यय लखनऊ में स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी सेवा सदन पर होने वाला व्यय" खोलकर अन्ततः उसके नामे डाला जायेगा । इस व्यय के नियन्त्रण प्राधिकारी तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी–निदेशक/सचिव, स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी कल्याण परिषद्, उत्तर प्रदेश, लखनऊ रहेंगे ।

भवदीय,
बी.जे. खोदायजी
आयुक्त एवं गृह सचिव

स्थाई–6–2380/10–75 तद्दिनांक
वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग–6

प्रतिलिपि महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,
रमेश चन्द्र मिश्र
अनु सचिव